राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो /2013 जयपुर, दिनांक : 29 OCT 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 16.07.2014 एवं 25.07.2014**

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 बनाये जाने के संबन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश जारी किये किये गये है।

जैसा कि आपको विदित है, वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट का कार्य एक समयबद्व कार्यक्रम है एवं तद्नुसार ही समय पर कार्य किया जाना अनिवार्य है ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समय पर श्रम बजट प्रस्तुत किया जा सके। विभागीय पत्रांक द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस वर्ष राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण उक्त कार्यवाही 01 दिसम्बर, 2014 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे। संदर्भित पत्र द्वारा दिए गए समयबद्व कार्यक्रम के अनुरूप दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 तक वार्षिक योजना का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य था। कुछ जिलों में आई.पी.पी.ई. के तहत चयनित किये गये ब्लाक में वार्षिक कार्य योजना की प्रकिया में परिवर्तन के कारण ब्लाक स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही दिनांक 01.11.2014 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। शेष रहे सभी ब्लाक में अनुमोदन की कार्यवाही करायी जा चुकी होगी।

इस संबन्ध में कृपया ब्लाकवार सूचना संलग्न प्रपत्र में दिनांक 03.11.2014 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने का श्रम करावे।

**भवदीय**

**संलग्नः** उपरोक्तानुसार।

**(डॉ.समित शर्मा)**
**आयुक्त, ईजीएस**

**प्रतिलिपिः**

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

**अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस**

## वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के संबन्ध में सूचना

जिला :–

| क्र. सं. | पंचायत समिति | ब्लाक पंचायत की साधारण सभा की बैठक दिनांक जिसमें वा.का.यो. 15–16 का अनुमोदन किया गया है। | समय पर कार्यवाही पूर्ण नही होने के कारण |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |